


6/12/19

पत्रावली फेंच डई/वकील सायल उप०/जैर सायल
 की ओर से कोई उप० नहीं है। जैर सायल न.
 1 विरजु कोत ले चुका है। जिसके कारिसान
 पूर्व से रिकार्ड पर है। अतः जैर सायल न. 1
 का नाम हफ्त किया जाता है। जैर सायल न. 1
 विरजु के नाम के आगे लाल स्याही से नाम
 हफ्त लिखा जावे। वकील सायल की ओर
 से मूल न. 1 का पत्र पर बल्ल की गई।
 बल्ल वकील सायल की एक पक्षीय सुनी गई
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक
 राजस्व रिकार्ड जमावंदी के ग्राम मांदलजांव
 सन् 2064-67 के खाता न. नया 60 पुराना 50
 के अनुसार विवाहेत भूमि सायल के पिता
 विरजु के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में
 दर्ज है। सायल के पिता विरजु जैर सायल
 न. 1 के रूप में पार्टी बना हुआ। सायल की
 ओर से पेशीय शर्ति का बंटवारा लेने का पत्र
 भेज रखा है। जो कि न्यायालय लया में
 वास्तु सुनवाई लेने विचाराधीन चल रहा है।
 बल्ल वकील सायल एक पक्षीय सुनी गई। बल्ल
 वकील सायल पर अनन किया गया। मुताबिक
 राजस्व रिकार्ड जैर सायल को. को जरिये
 आस्यई निषेधज्ञा से पबंद किया जाना न्याय
 उचित समझता है। अतः मूल दावे के क्रिस्तण

तारीख हुकम

एक समय पत्र को जारी असुवाई निषेधना
 से वाक्य किया जाता है कि ग्राम मांझगांव
 के आ.ख.नं. 35, 36, 37, 506, 507, 508/637,
 509, 522/636, 525, 526, 527, 528, 530,
 547, 585, 590, कुल किला 16 रकबा 7.80
 हेक्टर के रिकार्ड की गया स्थिति बनाये रखे।
 प्रार्थना पत्र असुवाई निषेधना फौजदारी थाना
 दोबरवाड लक्ष्मील दफ्तर कारखाना की जाके
 यह निर्णय आज दिनांक 6-12-19 को
 सुले न्यायालय में सुनाया गया।


 जिला कलेक्टर
 चामनवास (जिला-सोमा)

